प्रेस विज्ञप्ति

थाना प्रेमनगर-जनपद झाँसी

दिनाँक- 14.05.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **पाँच लाख रुपये की रंगदारी मांगने एवं लूट की घटना में संलिप्त अभियुक्त का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 14.05.2025 को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा पाँच लाख रूपये की रंगदारी माँगने व जबरन असलहे के दम पर लूट करने वाला वाँछित अभियुक्त- आशीष उपाध्याय पुत्र स्व० प्रभाकर उपाध्याय निवासी एल्पाईन पब्लिक स्कूल के पास ग्वालियर रोड थाना सीपरी जनपद झाँसी का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त कर जिला कारागार झाँसी भेजा गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.04.2026 को अभियुक्त 1. आशीष उपाध्याय पुत्र स्व0 प्रभाकर उपाध्याय निवासी एल्पाइन पब्लिक स्कूल के पास, ग्वालियर रोड, झाँसी, 2. मंगलम दुबे पुत्र स्व0 के0के0 दुबे निवासी डामर गोदाम, मिशन कम्पाउण्ड, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर गौड़ बाबा मंदिर के पास, थाना प्रेमनगर क्षेत्र में मुकदमा वादी श्री ऊधम सिंह पुत्र स्व0 श्री रामचरण सिंह निवासी आवास विकास खोड़न, थाना सीपरी बाजार से पाँच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गई तथा असलहे व लाइसेंसी बन्दूक के दम पर वादी के साथ मारपीट कर ₹45,000/- रुपये जबरन छीन लिये गये थे।

उक्त प्रकरण के संबंध में मुकदमा वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 13.05.2026 को मु0अ0सं0-190/2026 धारा 309(6)/308(4)/352/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 13.05.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त आशीष उपाध्याय पुत्र स्व0 प्रभाकर उपाध्याय निवासी एल्पाइन पब्लिक स्कूल के पास, ग्वालियर रोड, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी को संबंधित अभियोग में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय, जनपद झाँसी से अभियुक्त का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया गया, जिसके क्रम में अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार झाँसी भेजा गया।

शेष वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं लूटी गई धनराशि की बरामदगी हेतु थाना स्थानीय से 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः- मु0अ0सं0-190/2026 धारा 309(6)/308(4)/352/ 351(3)/ 3(5) Bns

लूटी हुई धनराशि का विवरण- 45000/- रूपये नगद

माँग की गयी रंगदारी का विवरणः- अभियुक्त गण द्वारा कुल पाँच लाख रूपये की रंगदारी माँगी गयी थी।